

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

25
24
भोपाल, दिनांक अक्टूबर, 2008

फा. क. 1-3-2004-इक्कीस-ब(एक).- मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (कमांक 16 सन् 2001) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. कमांक 1-3-2004-इक्कीस -ब (एक), दिनांक 11 मई, 2004 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र(भाग-1) दिनांक 21 मई, 2004 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है तथा, एतद्वारा, अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायालयों को, उसके (अनुसूची के) कालम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के संबंध में, पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन मामलों के निपटारे के प्रयोजन के लिये, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करता है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुकमांक 17 तथा 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अनुकमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात:-

अनुसूची

अनुकमांक (1)	पदाभिहित न्यायालय (2)	क्षेत्र (राजस्व जिले) (3)	विशेष न्यायालय (4)
17-क.	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर,	अलीराजपुर	अलीराजपुर
क.	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैठन	सिंगरौली	सिंगरौली।।।

NOTIFICATION

F.No.1-3-2004-XXI-B(1).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Madhya Pradesh Nikshepakon :Ke Hiton Ka Sanrakshan Adhiniyam,2000 (No 16 of 2001), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F.No. 1-3-2004-XXI-B(1), dated 11 May, 2004, which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Part -I) dated 21st May, 2004 and hereby designate the Courts specified in column (2) of the Schedule in relation to area specified corresponding entries in column (3) thereof, as special Courts specified in column (4) of the said Schedule for the purpose of disposal of cases under the aforesaid Act, namely:-

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, after serial number 17 and 36 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

SCHEDULE

S.NO.	Designated Court	Areas (Revenue District)	Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
36-A.	Additional Session's Judge, Alirajpur,	Alirajpur	Alirajpur
36-A.	Additional Session's Judge, Waidhan	Singrauli	Singrauli ."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

OLC (एन. के. गुप्ता)
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

डा.क. 1-3-2004/21-ब(एक),
तेल्लिपि:-

25
भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर, 2008

- (1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर,
 - (2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल,
 - (3) जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर एवं सिंगरोली,
 - (4) उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल,
- की और सूचनार्थ प्रेषित कर अनुरोध है (म.प्र. राजपत्र भाग - एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- () केवल मुद्रणालय के लिये।

OLC (शिवनारायण द्विवेदी)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग